

ORDER SHEET 527-2016rct

THE COURT - - - - -

Date of order of proceeding	Order or proceeding with singnature of presiding officer	Singnature of parties or pleaders where necessary
21-2-17	<p>राज्य द्वारा एडीपीओ उप० । आरोपीगण सहित अधि०श्री अशोक जादौन उप० प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है । आज दिनांक को फरियादी गुडडी उर्फ हसीना उप० है । फरियादी की पहचान अधि०श्री सुरेश मिश्रा द्वारा की गई है । इसी प्रक्रम उभयपक्षों द्वारा व्यक्त किया गया कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं चूंकि उभयपक्ष प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं । अतः प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री अमित कुमार गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय में भेजा जाता है । इस संबंध में रेफरल ऑर्डर तैयार किया जावे ।</p> <p>उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वह मीडिएशन की कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री अमित कुमार गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में उप० हो । प्रकरण मीडिएशन रिपोर्ट हेतु थोड़ी देर पश्चात पेश हो ।</p> <p style="text-align: center;">जे०एम०एफ०सी०</p> <p>राज्य द्वारा एडीपीओ उप० । आरोपीगण सहित अधि०श्री अशोक जादौन उप० प्रकरण में मीडिएशन रिपोर्ट प्राप्त । इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा दफ़्त की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गयी ।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपी नौसे खां, बन्ने खां एवं असलम खां पर भादस की धारा 294, 323 एवं 506 भाग दो के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं । आरोपीगण पर आरोपित अपराध न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है । फरियादी गुडडी उर्फ हसीना ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है । राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है । अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है । राजीनामा के आधार पर आरोपी नौसे खां, बन्ने खां एवं असलम खां को भा०द०सं० की धारा 294, 323 एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है ।</p>	

	<p>हैं।</p> <p>आरोपीगण पूर्व से जमानत हैं उनके जमानत व मुचलके भारहीन किए जाते</p> <p>प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण को अभिलेखागार में जमा किया जावे।</p> <p>सही—</p> <p>प्रतिष्ठा अवस्थी</p> <p>अति०सी०जे०१गोहद</p>	